



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072026-274377
CG-DL-E-11072026-274377

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3631]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948

No. 3631]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2026

का.आ. 3793(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट पासीघाट, पूर्वी सियांग जिला, अरुणाचल प्रदेश - 791102 (NH515) के कि.मी 0 किमी से 14.385 किमी अरुणाचल प्रदेश राज्य के तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

अरुणाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH515 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	उप आयुक्त	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH515 के कि.मी 0 से कि.मी 14.385 तक	अरुणाचल प्रदेश	ईस्ट सिआंग	सिल्ले --ओयन	1 सिल्ले 2 रानी 3 ओयन विलेज
					बोगोंग	1 बेरुंग
					पासीघाट	1 5 माइल / पासीघाट

[फा.सं. NHIDCL/PMU-PASIGHAT/2026-27/LA/Oyan-Pasighat]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2026

S.O. 3793(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from 0 to 14.385 of Pasighat, East Siang District, Arunachal Pradesh - 791102 (NH515) in the State of ARUNACHAL PRADESH for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of ARUNACHAL PRADESH

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH515 in the State of ARUNACHAL PRADESH.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Deputy Commissioner	NH515 KM 0 TO KM 14.385	ARUNACHAL PRADESH	EAST SIANG	Sille --Oyan	1 Sille 2 Rani 3 Oyan Village
					Bogong	1 Berung
					Pasighat.	1 5th Mile / Pasighat

[F.No. NHIDCL/PMU-PASIGHAT/2026-27/LA/Oyan-Pasighat]

SHAIKH AMINKHAN, Director